भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1773
05 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए
कटाई के बाद फसलों का नुकसान

1773. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में परिवहन के दौरान अनुमानत: 5-10 प्रतिशत खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और यदि हां, तो संभारतंत्र में सुधार करने और इस नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ख) अनाज, दलहन, तिलहन, फलों और सब्जियों के फसल- विशिष्ट आंकड़ों सहित 2018-2023 के दौरान कटाई के बाद के नुकसान के कारण कुल मौद्रिक नुकसान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) के माध्यम से वर्ष 2020-22 के संदर्भ में वर्ष 2022 में " भारत में कृषि उपज के फसल उपरांत नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन" नामक एक अध्ययन शुरू किया था। अध्ययन में बताए गए परिवहन के दौरान विकारी खाद्य के अनुमानित नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	**अनुमानित हानि (%)**	
	खेत स्तर पर	**बाज़ार स्तर पर**
फल	0.27-1.41	0.50-1.30
सब्ज़ियाँ	0.11-0.85	0.12-1.57
दूध	0.21	0.12
अंडा	0.30	0.39
मांस	-	0.02
पॉल्ट्री मांस	-	0.02
अंतर्देशीय मछली	0.14	0.14
समुंद्री मछली	0.42	0.52

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संपदा फसल-उपरांत नुकसान में कमी, मूल्य संवर्धन आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए फसल-उपरांत अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं का सृजन करने के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना कार्यान्वित्त कर रहा है। पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएं हैं (i) मेगा फूड पार्क (घटक को केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है) (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना, (iii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (घटक को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है) (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार और (vi)

ऑपरेशन ग्रीन्स। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसल-उपरांत नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी शामिल हैं। दिनांक 31 अक्तूबर, 2024 तक पीएमकेएसवाई के तहत 1187 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अलावा , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना शुरू की है, ताकि फसल उपरांत अवसंरचना में सुधार हो और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां सृजित की जा सकें। एआईएफ योजना बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा शीत भंडारण सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मध्यम से लंबी अवधि के ऋणों की मंजूरी की सुविधा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य फसल के अपव्यय को कम करना और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है।

(ख): नैबकॉन्स द्वारा वर्ष 2022 में संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ किए गए उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार , विभिन्न वस्तुओं के लिए अनुमानित फसल उपरांत मौद्रिक हानि निम्नानुसार है:

श्रेणी	**अनुमानित मौद्रिक हानि (करोड़ रुपए में)**
अनाज	26000.79
दाल	9289.21
तिलहन	10924.97
फल	29545.07
सब्ज़ियाँ	27459.08
बागान फसल	16412.56
पशुधन उत्पादन	29871.41
अंडे	3287.32

अनाज, दाल, तिलहन, फल और सब्जियों के लिए फसल-विशिष्ट आंकड़े **अनुबंध** में दिए गए हैं ।

*****

अनुबंध

दिनांक 5 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "कटाई के बाद फसलों का नुकसान" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1773 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

वस्तुएं	**फसलें**	**फसल-उपरांत अनुमानित मौद्रिक हानि (करोड़ रुपए में)**
अनाज, दालें और तिलहन	धान	12296.67
	गेहूँ	9883.45
	मक्का	2256.16
	बाजरा	864.37
	ज्वार	700.14
	अरहर	2067.07
	चना	4985.45
	काला चना	866.50
	हरा चना	1370.19
	सरसों	2541.38
	कपास	289.29
	सोयाबीन	4736.14
	कुसुम	4.61
	सूरजमुखी	46.99
	मूंगफली	3306.56
फल एवं सब्जियां	सेब	1941.53
	केला	5777.01
	साइट्रस	4347.13
	अंगूर	1562.08
	अमरूद	2217.05
	आम	10581.92
	पपीता	786.10
	चीकू	263.13
	अनानास	303.74
	अनार	1533.08
	खरबूजा	232.30
	पत्ता गोभी	1230.05
	फूलगोभी	1696.87
	हरी मटर	2288.30
	मशरूम	221.90
	प्याज	5156.32
	आलू	5733.84
	टमाटर	5921.15
	टैपिओका	642.50
	लौकी	338.67
	बैंगन	1989.50
	बीन्स	758.95
	मूली	252.13
	शिमला मिर्च	105.13
	भिंडी	1123.77

*****